UPAZ010022292026

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।</u>

उपस्थितः जय प्रकाश पाण्डेय, एच०जे०एस० (J.O. Code U.P.1883)

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 985/2026</u>

गुलाबचन्द उम्र लगभग 34 साल पुत्र केरा निवासी ग्राम चेवार पूरब थाना देवगांव जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

<u>दिनांक-03.04.2026</u>

1- प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. आवेदक/अभियुक्त **गुलाबचन्द** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**34/2026** अन्तर्गत धारा- **64, 78 बी.एन.एस.,** थाना **देवगांव**, जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में रिविका द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जमानत प्रार्थना में वर्णित समस्त बातें उसकी निजी जानकारी में सही व सच हैं।

3- अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं. 505/2026 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2026 को बल न देने के कारण निरस्त किया जा चुका है, जिस कारण यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** वादिनी मुकदमा सुनिता द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादिनी की पुत्री उम्र लगभग 23 वर्ष 2 महीना को शादी का झांसा देकर गांव का ही गुलाबचंद कई बार शारीरिक संबंध बनाया व दिनांक 13.12.2025 को भी रात में जबरदस्ती संबंध बनाया। वादिनी की पुत्री ने घर आकर घटना से अवगत कराया। लोक लाज के डर से वादिनी थाने पर सूचना नहीं दी, अब दे रही है।

5- **आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि** आवेदक निर्दोष है, रंजिशवश अभियुक्त बना दिया है। वादिनी व उसकी पुत्री द्वारा आवेदक के तीन वर्षीय पुत्र आयान की हत्या दिनांक 14.12.2025 को कर दी गयी। अभियुक्त की जानकारी होने पर मोबाइल से बात करने पर (जिसकी रिकार्डिंग भी है) पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र आवेदक की पत्नी द्वारा दिनांक 30.12.2025 को दिया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा एस.एच.ओ. देवगांव को आदेशित किया गया, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। वादिनी व उसकी पुत्री के नाजायज प्रभाव में दिनांक 15.01.2026 की रात्रि में 11 बजे पुलिस द्वारा आवेदक की पत्नी से जबरदस्ती दूसरा प्रार्थना पत्र लेकर दिनांक 16.01.2026 को अ.सं. 33/26 अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. विरूद्ध पीड़िता काफी विलंब से दर्ज किया गया। उसी दिन दिनांक 16.01.2026 को ही वादिनी व पीड़िता के नाजायज प्रभाव से एस०एच०ओ० देवगांव द्वारा हत्या की अभियुक्त पीड़िता की मां

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 2026.04.03 17:12:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादिनी से प्रार्थना पत्र फर्जी आधार लेकर आवेदक को अभियुक्त बना दिया गया और 18.01.2026 को पुलिस द्वारा चालान कर दी गयी। वादिनी व आवेदक पट्टीदार है। आवेदक की शादी हुए करीब 12 साल हो चुका है। आवेदक के पास 3 बच्चे थे जिसमें बड़ी लड़की 9 साल की छोटी लड़की 6 साल की है व पुत्र आयान 3 वर्ष का था जिसकी वादिनी व वादिनी की पुत्री द्वारा हत्या कर दी गयी है। इसी रंजिश के कारण आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में शादी का झांसा देना व पीड़िता की उम्र 23 वर्ष दो माह बतायी गयी है। आवेदक की पहले से शादी हुई है। शादी का झांसा देने व बहकाने फुसलाने व छेड़खानी करने का कोई औचित्य ही नही है, न ही बलात्कार व छेड़खानी ही किया गया है। पुलिस की साजिश से हत्या के मुकदमें से बचने के लिए फर्जी आधार बनाकर अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक-18.01.2026 से जनपद कारागार में निरूद्ध है। आवेदक जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं करेगा। यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। आवेदक का प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

6- **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** के द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया तथा दिनांक 13.12.2025 की रात में भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। पीड़िता ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का अपराध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र आपराधिक इतिहास न होने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों/पत्रावली का परिशीलन किया।

7- बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता द्वारा दिनांक 14.12.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त के नाबालिग पुत्र की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से थाना देवगांव पर मु.अ.सं. 33/2026 अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. दर्ज कराया गया है जिससे बचने हेतु एवं दबाव बनाने की नीयत से वादिनी मुकदमा ने यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।

8- बचाव पक्ष द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मु.अ.सं. 33/2026 अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से पाया जाता है कि दिनांक 14.12.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त के नाबालिग पुत्र की गला काटकर हत्या किये जाने के बावत वर्तमान मुकदमे की पीड़िता के खिलाफ मु.अ.सं. 33/2026 अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. दिनांक 16.01.2026 को समय 06.16 बजे थाने पर दर्ज किया गया है। वर्तमान मुकदमे की पीड़िता प्रार्थी/अभियुक्त के नाबालिग पुत्र की हत्या के आरोप में जेल में है।

9- वर्तमान मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट भी थाना देवगांव पर दिनांक 16.01.2026 को समय 18.40 बजे दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता की मां द्वारा दर्ज करायी गयी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि वादिनी की पुत्री

पीड़िता उम्र लगभग 23 वर्ष 2 महीना को शादी का झांसा देकर गांव का ही गुलाबचंद कई बार शारीरिक संबंध बनाया व दिनांक 13.12.2025 को भी रात में जबरदस्ती संबंध बनाया।

10- आश्चर्य का विषय यह है कि पीड़िता स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त के नाबालिग पुत्र की गला काटकर हत्या करने के अपराध की अभियुक्ता है तथा उसके विरूद्ध दिनांक 16.01.2026 को समय 06.16 बजे मु.अ.सं. 33/2026 अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. दर्ज कराया गया है और उसी दिन 16.01.2026 को ही समय 18.40 बजे पीड़िता की मां द्वारा लगभग एक माह पूर्व दिनांक 13.12.2025 की घटना दर्शाते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान मुकदमा दर्ज कराया गया है। यदि पीड़िता के साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 13.12.2025 को शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया होता तो वादिनी अथवा पीड़िता द्वारा निश्चित ही उस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलंब थाने पर दर्ज करायी जाती, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और जब पीड़िता के विरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त के नाबालिग पुत्र की गला काटकर हत्या करने के बावत मुकदमा थाने पर दर्ज कराया गया तो उसी दिन वादिनी मुकदमा ने एक माह पूर्व की घटना दर्शाते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध यह मुकदमा दर्ज करा दिया, जिससे प्रथमदृष्टया इस स्तर पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत वादिनी द्वारा अपने बचाव हेतु यह रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

11- अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि पीड़िता के विरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त के नाबालिग पुत्र की गला काट कर हत्या किये जाने के बावत थाना देवगांव पर दिनांक 16.01.2026 को मु.अ.सं. 33/2026 अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. दर्ज कराया गया है। यह भी कथन किया गया है कि दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही दिन थाने पर दर्ज हुई हैं। वर्तमान मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट से ही यह तथ्य स्वीकृत है कि पीड़िता तथा अभियुक्त एक ही गांव के हैं। बचाव पक्ष के कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्त तथा पीड़िता आपस में पड़ोसी हैं, प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व से विवाहित है तथा उसके तीन बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चे की हत्या हो गयी है। उक्त तथ्यों से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किये जाने का कथन प्रथमदृष्टया इस स्तर पर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 18.01.2026 से कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। विवेचक द्वारा अब कोई साक्ष्य संकलित किया जाना शेष नहीं है। उक्त विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य है।

12- इस आदेश में मुकदमे के गुणदोष पर की गयी टीका-टिप्पणी जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु की गयी है जिसका मुकदमे के विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13- अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **गुलाबचन्द** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/-**(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/ न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा अथवा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा तथा गवाह आने पर बिना किसी स्थगन प्रतिपरीक्षा पूर्ण करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।

4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक-03.04.2026

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।